फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूं (जिला-जयपुर ग्रामीण)

केसरलाल बनाम मुरलीधर

मुकदमा नम्बर :- 79/2021 T.I.

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	16/4/25	व.प्र. 34.	बहस T.I. सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी के पक्ष में सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति वस्तु की साबित होता है अतः पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 22/11/21 का कब्जा मूल वाद कायम किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है अतः पूर्व आदेश के ता-कब्जा मूल वाद कायम किया जाता है प्रार्थी कब्जा शुदा वैसे मूल वाद के लेखन है तथा उसे कायम रखे जाते हैं।

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)